No, 20/3/93-Edu. III (5)

From

The Financial Commissioner & Secretary to Govt., Haryana, Education Department.

1- Commissioner of Divisions in Haryana.

2- All Deputy Commissioners and Sub-Divisional Officers in Haryana.

3- Director Secondary Education/Director Higher Education, Director Primary Education, Haryana, Chandigarh.

4- All D.E.O's, D.P.E.O's and S.D.E.O.'s, in Haryana State.

Dated, Chandigarh, the 17th Nov. 1993.

Sub: Policy regarding association of the name of the donors with school building or other educational institutions already in operation.

-.-

Sir,

Government has carefully considered the matter regarding taking over of private buildings for schools where the owners of such buildings request to donate them to the Government for running an educ-ational institution on the condition that the name of such donor or any person of choice of donor may be associated with the School. After careful consideration Government has decided as follows:

i) A standing committee under the chairmanship of the local S.D.O(Civil) with the following officers as members.

1- D.E.O of the area conserned.

2- Headmaster/Head of Institution.

3- XEN, PWD, (B&R), of the area conserned, will look into the question of the suitability of such proposal.

ii) The committee will examine all the aspects and make suitable recommendations to the Govt. through Director, Secondary Education. Their recommendations will be binding on all concerned, once the approval of the Govt. is conveyed.

Committee shall interalia keep the following in view while making its recommendations:-

a) the condition of the building should be good and be assessed through XEN, PWD(B&R), of the area concerned who is member of the committee, who will certify it as fit for being taken over by the Government.

b) The building will be adequate for teaching work and should be enough to meet the future requirements for atleast 10 years. Donors should also undertake to meet additional requirements of the rooms in the building as may be necessary for expansion or [illegible]dation.

contd../2

3. It is proposed to exempt the gift deed from the payment of stamp duty. In this regard necessary approval of the Revenue Department is being obtained and will be conveyed as soon as received.

Joint Secretary Education,
for Financial Commissioner & Secretary to Govt.,
Haryana, Education Department.

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार के यादी क्रमांक 23/26/84 शि-III(3) दिनांक 12.6.86 तथा यादी क्रमांक 26/23/91 शि-II (4) दिनांक 20.1.92, जो निदेशक सैकण्डरी शिक्षा तथा अन्यों को प्रेषित है, की प्रतिलिपि ।

=====

विषय.-मुख्य मंत्री महोदय द्वारा शिक्षा विभाग की गतिविधियों की समीक्षा करते समय लिये गये निर्णय :-

राजकीय स्कूलों के भवनों के साथ दानवीरों का नाम जोड़ने बारे ।

======

उपरोक्त विषय पर आपके यादी क्रमांक 7/25-85 वर्क (1) दिनांक 16.12. के संदर्भ में ।

राजकीय स्कूलों के भवनों के साथ दानवीरों का नाम जोड़ने के मामले में सरकार के यादी क्रमांक 23/26/84 शि-III (2) दिनांक 12.6.86 के अन्तर्गत लिये निर्णय/मापदण्डों/अनुदेशों के मद क्रमांक 5 में संशोधन करवाने हेतु सरकार के विचाराधीन रहा है । अब इस पर विचार करके यह निर्णय लिया गया है कि राजकीय स्कूलों के भवनों के साथ दानवीरों का नाम जोड़ने के लिए निम्नलिखित मापदण्ड, अपनाये जावें:-

1. दानी दान की गई भूमि तथा उस पर निर्मित किये गये भवन को सरकार को गिफ्ट करना चाहता है ।
2. दानवीर इलाके का "वैल रिपुटिड" व्यक्ति है ।
3. पंचायत ने अमुक दानवीर द्वारा निर्मित की गई बिल्डिंग को सरकार द्वारा गिफ्ट के रूप में स्वीकार करने बारे रैजुलेशन पास किया हो । शहरी इलाकों में इस प्रकार का रैजुलेशन म्यूनिसिपल कमेटी अथवा नोटिफाईड ऐरिया कमेटी आदि द्वारा पास किया जाना चाहिए । जहां दानवीर की अपनी भूमि हो और उसी पर भवन बनाकर दे दिया जावे, तब रैजुलेशन की जरूरत नहीं है ।
4. बिल्डिंग का नक्शा वही होना चाहिये जो कि सरकार ने दिनांक 13.6.85 को अनुमोदित किया है । भवन कम्पलीशन सर्टीफिकेट भी पी.डब्ल्यू डी. द्वारा दिया गया हो । इस प्रकार के जो मामले 13.6.85 से पहले चल रहे हैं उन बारे भवन का प्लान हरियाणा के चीफ आरकीटैक्ट द्वारा अनुमोदित होना चाहिए । तथा कम्पलीशन/फिटनैस प्रमाण पत्र पी.डब्ल्यू. डी. विभाग द्वारा दिया होना चाहिए ।
5. यदि कोई दानवीर स्कूल भवन बनाकर देता है और वह स्कूल बाद में अपग्रेड हो जाता है तो दानी का नाम स्कूल के साथ जुड़ा रहेगा । दानवीर चाहे तो अपग्रेड स्कूल के भवन में अतिरिक्त कमरे बनवा दे अन्यथा अपग्रेडिड स्कूल में अतिरिक्त कमरों का निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा ।

ऐसे प्रत्येक मामले में शिक्षा मंत्री तथा मुख्य मंत्री महोदय के आदेश प्राप्त किये जायें ।

======

कार्यालय निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा।

पृ० क्रमांक 15-स-7/25-85 वर्क (1) दिनांक: चण्डीगढ़, 17-2-92

इसकी एक प्रति राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस कार्यालय के पृष्ठांकन क्रमांक 4818-7/25-85 वर्क (2) दिनांक 19.9.86 के अनुक्रम में भेजी जाती है। भविष्य में दानी का नाम जोड़ने के लिये जो भी मामला भेजा जाये उसे सरकार के इस निर्णय के दृष्टिगत पूर्ण करके भेजा जाये।

उप निदेशक परीक्षा/निर्माण,
कृते: निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा